संख्या-01/2021/71/86-2021-02(बजट)/2020

प्रेषक,

हृदय नारायण सिंह यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग''-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना'' के अन्तर्गत मानक मद ''58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान''में पुनर्विनियोग।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2318/ए-4/2020 दिनांक 07.01.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कुशल/अकुशल श्रमिकों के माह दिसम्बर, 2020 से 15 मार्च, 2021 तक की अवधि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपरोक्त मानक मद-''58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' में अतिरिक्त बजट की व्यवस्था के रूप में मुख्य लेखाशीर्षक-''2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन -03-खनन प्रशासन की योजना'' के मानक मद ''16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' में होने वाली संभावित बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से, रु0 33.62 लाख (रु0 तैतीस लाख बासठ हजार-मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं-

1. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
2. पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य के परीक्षण तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की गयी है, उसी प्रयोजन हेतु ही धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जायेगा।

4. निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त विर्नियोग से उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विर्निदिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं हो।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 सं0-275/ई-6/दस-2021 दिनांक 20.01.2021 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र(फार्म बी0एम0-9)।

भवदीय,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

संख्याः 71(1)/86-2021, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,2 एवं 3
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

शासनादेश संख्या-71 /86-21- 02(बजट)/2020 दिनांक 27 जनवरी, 2021 का संलग्नक

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृत

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम- 04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष(15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग''					
02-खानों का विनियमन तथा विकास -001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना					
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00	83.12	33.62	33.62	66.38
योग 2853(001) 03	100.00	83.12	33.62	33.62	66.38
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान /विनियोग		संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि(9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान /विनियोग(8+11)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	8	9	10	11	12
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग''					
02-खानों का विनियमन तथा विकास -001-निदेशन तथा प्रशासन -03-खनन प्रशासन की योजना					
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	100.00	133.62	33.62	33.62	133.62
योग 2853(001) 03	100.00	133.62	33.62	33.62	133.62

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नलिखित है।

''03-खनन प्रशासन की योजना'' के मानक मद ''16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान'' में वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान में अधिवक्ताओं के देयक लम्बित नहीं है, जिसके फलस्वरुप बचत संभावित है।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रत्याशित व्यय के कारण निम्नांकित हैं।

''03-खनन प्रशासन की योजना'' के ''58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान'' के मद में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय-भार संभावित है। अतः इस मद में अतिरिक्त प्राविधान कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः-आर0ई0-275/ई-6/दस-2021 दिनांक 20 जनवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हृदय नारायण सिंह यादव
उप सचिव।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-71 /86-21- 02(बजट)/2020, दिनांक 27 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
6. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।